संख्या-1/2024/आई0/489160/चौरासी-1-2024-001-1099-41-2022

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,

विधिक माप विज्ञान विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 07 फरवरी, 2024

विषय:- जनपद बलिया, कौशाम्बी, सीतापुर एवं तिलहर(शाहजहॉपुर) में निर्माणाधीन कार्यमानक प्रयोगशाला के भवन हेतु लागत पुनरीक्षित करते हुए अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-451/निविमावि-भवन/2022, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 एवं पत्र संख्या-378/निविमावि-भवन/2023-24, दिनांक 01 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्माणाधीन कार्यमानक प्रयोगशाला भवन बलिया, कौशाम्बी, सीतापुर एवं तिलहर(शाहजहॉपुर) का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित पुनरीक्षित आगणन क्रमश: रू0-43.85 लाख, रू0-30.36 लाख, रू0-48.78 लाख एवं रू0-29.80 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-9/2016/318/84- 1-2016-21बामा/2009टी0सी0-3, दिनांक 30-03-2016, शासनादेश सं0-01/1214/84-1-14-21बामा/ 2009 टी0सी0-3,दिनांक 20-01-2015 एवं 24/864/84-1-2015-21बा0मा0/ 2009 टी0सी0-3, दिनाक 07.12.2015 द्वारा जनपद बलिया, कौशाम्बी, सीतापुर एवं तिलहर (शाहजहॉपुर) में कार्यमानक प्रयोगशाला भवन के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0(पूर्ववर्ती नाम उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) द्वारा गठित प्रारम्भिक आगणन के सापेक्ष रू0-30.37 लाख, 21.90 लाख, 26.08 लाख एवं रू0-28.22 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति कतिपय शर्तो के अधीन प्रदान करते हुए क्रमश: धनराशि रू0-15.18 लाख, 21.90 लाख, 25.00 लाख तथा रू0-25.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-87.08 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। प्रश्नगत उक्त 04 कार्यमानक प्रयोगशाला भवन यथा बलिया, कौशाम्बी, सीतापुर एवं तिलहर(शाहजहॉपुर) की लोक निर्माण विभाग द्वारा लागत कुर्सी दरें पुनरीक्षित होने के कारण विषयगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त नीचे दी गई तालिका के कॉलम-6 पर उल्लिखित पुनरीक्षित लागत की धनराशि क्रमश: रू0-43.85 लाख, 30.36 लाख, रू0-48.78 लाख एवं 29.80 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-152.79 लाख (रूपये एक करोड बावन लाख उनयासी हजार मात्र) को स्वीकृत करते हुए कॉलम-7 पर अंकित अवशेष कुल धनराशि रू0-65.71 लाख(रूपये पैंसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला /कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलीब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपलब्ध बजट प्रावधान रू0-1000.00 लाख में से किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदया निम्नवत शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है:-

(रूपया लाख में)

क्र0 क्र0 सं0	कार्यमानक प्रयोगशाला का नाम	शासनादेश संख्या/ दिनांक	मूल स्वीकृत लागत	मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	पुनरीक्षित लागत	पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बलिया	शासनादेश संख्या-9/2016/ 318/84-1-2016-21 बा0मा0 /2009 टी0सी0-3, दिनांक 30-03-2016	रू0-30.37	रू0-15.18	रू0-43.85	रू0-28.67
2	कौशाम्बी	शासनादेश संख्या-01/1214/ 84-1-2014-21बा0मा0/2009 टी0सी0-3,दिनांक 20-01-2015	रू0-21.90	रू0-21.90	रू0-30.36	रू0-8.46
3	सीतापुर	शासनादेश संख्या- 24/864/ 84-1-2015-21/बा0मा0/ 2009 टी0सी0-3,दिनांक 07-12.2015	रू0-26.08	रू0-25.00	48.78	23.78
4	तिलहर (शाहजहॉपुर)	शासनादेश संख्या-24/864/ 84-1-2015-21/बा0मा0/ 2009 टी0सी0-3, दिनांक 07-12.2015	रू0-28.22	रू0-25.00	29.80	4.80
5	कुल योग रू0		106.57	87.08	152.79	65.71
रूपये- पैंसठ लाख इकहत्तर हजार मात्र						

(1) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु नियमानुसार वांछित धनराशि भारत सरकार से प्राप्त किया जायेगा तथा उक्त धनराशि उपलब्ध होने पर इन प्रयोगशालाओं भवनों के निर्माण हेतु राज्य निधि से स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति करायी जायेगी।

(2) नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उक्त धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग की होगी।

(4) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(9) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज, जी0एस0टी0 (प्रतिशत प्रभार) (यदि लागू हो तो) निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) उक्त पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि जनपद बलिया, कौशाम्बी, सीतापुर एवं तिलहर(शाहजहॉपुर) प्रयोगशाला भवन के लिए अन्तिम धनराशि होगी। इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की मॉग नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा नहीं की जायेगी। कार्य समय से पूर्ण हो जाये इसका सतत् निरीक्षण नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जायेगा।

(11) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप समय से पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 30-03-2016, 20-01-2015 एवं 07-12-2015 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला /कार्यमानक प्रयोगशाला/ कैलीब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-479/दस-2023-24, दिनांक 02.02.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभिषेक गोयल)
विशेष सचिव।

संख्या-1 /2024/आई0/489160 (1)/चौरासी-1-2024-001-1099-41-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।

3- सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- निदेशक, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक माप विज्ञान शाखा, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

6- जिलाधिकारी, बलिया, कौशाम्बी, सीतापुर एवं तिलहर(शाहजहॉपुर)।

7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उ0 प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0), लखनऊ।

8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

12- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/2

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।